



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन, 1942 (श०)

संख्या- 462 राँची, सोमवार,

28 सितम्बर, 2020 (ई०)

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

10 सितम्बर, 2020

अधि० संख्या -06/रा०व्या०-02/2020- 2792/व०प०,-- झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2020 में संशोधन के निमित्त निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं:-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-

- 1.(1) यह नियमावली झारखण्ड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।
- (2) यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
2. झारखण्ड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2020, जिसे इसके पश्चात् मूल नियमावली कही जाएगी, के नियम-3(क) में कोष्ठक सहित वर्ण-'b' को विलोपित किया जाता है।
- 3(i) मूल नियमावली के नियम-3(घ) की अंतिम पंक्ति में शब्द 'बांस' को विलोपित किया जाता है।

- (ii) मूल नियमावली के **नियम-3(च)** को विलोपित किया जाता है।
- (iii) मूल नियमावली के **नियम-3(छ)** को विलोपित किया जाता है।
- (iv) मूल नियमावली के **नियम-3(ज)** को विलोपित किया जाता है।
- (v) मूल नियमावली के **नियम-3(झ)** को विलोपित किया जाता है।
- (vi) मूल नियमावली के **नियम-3(ञ)** को विलोपित किया जाता है।
- (vii) मूल नियमावली के **नियम-3(ट)** को विलोपित किया जाता है।
- (viii) मूल नियमावली के **नियम-3(ठ)** को विलोपित किया जाता है।
- (ix) मूल नियमावली के **नियम-3 (ध)** में निम्नवत् प्रावधान जोड़ा जाता है:-

“लघु वन उपज से अभिप्रेत है Schedule Tribes and other Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 की धारा-2(i) में जैसा परिभाषित है।”

4. मूल नियमावली के नियम-6 में अंकित शब्द समूह “यह शुल्क सरकारी कोषागार में उचित शीर्ष के अधीन जमा किया जायेगा” के स्थान पर शब्द समूह “यह शुल्क सरकारी कोषागार में उचित शीर्ष के अधीन झारखण्ड e-GRAS पोर्टल के माध्यम से जमा किया जायेगा” प्रतिस्थापित किया जाता है।
5. मूल नियमावली के नियम-9(i) में अंकित ‘**खनिज को छोड़कर**’ को कोष्ठक में रखा जाता है।
6. मूल नियमावली के नियम-9(iii) में अंकित “**निबंधन प्रमाण पत्र निष्पादित**” के स्थान पर “**निबंधन आवेदन के निष्पादन**” को प्रतिस्थापित किया जाता है।
7. मूल नियमावली के नियम-10(i) की दूसरी पंक्ति में अंकित शब्द “**हटाया**” के स्थान पर शब्द “**किया**” को प्रतिस्थापित किया जाता है।
8. मूल नियमावली के नियम-16(ii) में अंकित “**जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई**” के स्थान पर “**विधिसम्मत कार्रवाई**” को प्रतिस्थापित किया जाता है।
9. मूल नियमावली के नियम-18 में अंकित दण्ड के प्रावधान को विलोपित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

दण्ड- “इस नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति यथासंशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार अधिनियम, 9, 1990) की धारा 42 में निहित प्रावधानों के अनुरूप दण्ड का भागी होगा। इस नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन के क्रम में जप्त किसी सम्पत्ति के अधिहरण या अन्य प्रकार से निबटारा राज्य सरकार द्वारा यथासंशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार अधिनियम, 9, 1990) के अधीन की जाएगी।”

10. **अनसूची-क क्रम संख्या-4** में अंकित प्रावधान “**जलावन-25 रुपये प्रति घन मीटर**” को विलोपित किया जाता है।

11. अनुसूची-ग प्रपत्र-1 में अंकित शब्द “पारागमन” के स्थान पर “पारगमन” प्रतिस्थापित किया जाता है।
12. अनुसूची-‘च’ प्रपत्र-1 के क्रम संख्या-1. में अंकित “खनन क्षेत्र का नाम” के स्थान पर “खनिज एवं खनन क्षेत्र का नाम” को प्रतिस्थापित किया जाता है तथा क्रम संख्या-8. में मात्रा के पूर्व “नाम/प्रकार तथा उसकी” को जोड़ा जाता है।
13. अनुसूची-‘च’ प्रपत्र-2 के क्रम संख्या-6. “परिवहन हेतु स्वीकृत मात्रा (मे. टन में)” के स्थान पर 6 (क) “परिवहन हेतु मात्रा (मिट्रिक टन में)” को प्रतिस्थापित किया जाता है एवं (ख) जमा किया गया शुल्क (रु० में)” को जोड़ा जाता है।
14. अन्यान्य में निम्नवत् प्रावधानों को जोड़ा जाता है:-
 - (i) नियमावली के नियम-3 में दी गई परिभाषा के इतर अन्य कोई भी मामला सामने आता है, तो यह भारतीय वन अधिनियम, 1927 में दी गई परिभाषा से नियंत्रित होगा।
 - (ii) केन्दु पत्ती से संबंधी परिवहन बिहार केन्दु पत्ती (व्यापार- नियंत्रण) नियमावली, 1972 के अधीन निर्गत होंगे।
 - (iii) भारतीय वन अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा बाँस को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-2(7) से विलोपित कर दिया गया है।”
 - (iv) यदि भारत सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो वह इस नियमावली पर स्वतः लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।
